

संयुक्त प्रांत संपदा अधिनियम, 1920
(उ० प्र० अधिनियम संख्या 7, 1920)

संयुक्त प्रांत संपदा अधिनियम, 1920¹

(उ० प्र० अधिनियम संख्या 7, 1920)

उ० प्र० अधिनियम संख्या 4, 1924

उ० प्र० अधिनियम संख्या 1, 1928

द्वारा संशोधित

भारत सरकार द्वारा अनुकूलित और संशोधित, भारतीय विधि अनुकूलन आदेश, 1937।

विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अनुकूलित और संशोधित।

[नवंबर 1920 को लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्वीकृति और 30 दिसंबर, 1920 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई और 25 दिसंबर, 1920 को भारत सरकार अधिनियम की धारा 81 के तहत प्रकाशित किया गया]

चूंकि यह समीचीन है कि अविभाजित सम्पदाओं के उत्तराधिकार के पाठ्यक्रम को परिभाषित और विनियमित किया जाए और 2[आगरा और अवध के प्रांतों में] 3[***] अन्य सम्पदाओं के लिए उत्तराधिकार के उसी पाठ्यक्रम के विस्तार की सुविधा प्रदान की जाए जो अवध सम्पदा अधिनियम, 1869 के प्रावधानों के अधीन नहीं हैं, जैसा कि अवध सम्पदा (संशोधन) अधिनियम 1910 या अवध बसे हुए सम्पदा अधिनियम, 1917 द्वारा संशोधित किया गया है] और ऐसी सम्पदाओं के संरक्षण के लिए बेहतर प्रावधान किया जाए, और जबकि गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 79 की उपधारा (2) और (3) के अधीन प्राप्त किया गया है; इसके द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षक
और विस्तार

1—4(1) इस अधिनियम को संयुक्त प्रांत संपदा अधिनियम, 1920 कहा जा सकता है,

5[(2) इसका विस्तार⁶ पूरे उत्तर प्रदेश पर होगा।]

1. एस.ओ.आर. के लिए, राजपत्र, 1920, भाग VII, पृष्ठ 692 देखें; चर्चा के लिए, एल.सी. प्रो. पब्लिक शेड, वही, पृष्ठ 779, 1122, 1169 और 1206 देखें।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम IV, 1924 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम IV, 1924 की धारा 2 द्वारा (आगरा में) शब्दों को हटाया गया।
4. उपरोक्त की धारा 3 द्वारा निम्नलिखित के स्थान पर प्रतिस्थापित।
“(1) इस अधिनियम को आगरा संपदा अधिनियम, 1920 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण आगरा पर है।”
5. ए.ओ., 1950 द्वारा धारा की उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. यह अधिनियम इस तालिका के स्तंभ 1 में उल्लिखित क्षेत्रों में स्तंभ 2 में उल्लिखित अधिनियम या आदेश के अंतर्गत विस्तारित किया गया है और स्तंभ 3 में उल्लिखित अधिसूचना, यदि कोई हो, के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों में प्रत्येक के सामने स्तंभ 4 में उल्लिखित तिथि से लागू किया गया है।

	क्षेत्र	अधिनियम या आदेश जिसके अंतर्गत विस्तारित किया गया	अधिसूचना, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत लागू किया गया	प्रवर्तन की तिथि
	1	2	3	4
1	रामपुर जिला	उत्तर प्रदेश अधिनियम XII, 1950, धारा 3		दिसम्बर 30, 1949
2	बनारस जिला	बनारस (विधियों का अनुप्रयोग) आदेश, 1949	सं. 3262 (1)/XVII दिनांक 30 नवंबर, 1949	नवम्बर 30, 1949
3	टिहरी गढ़वाल जिला	टिहरी गढ़वाल विधि अनुप्रयोग आदेश, 1949	सं. 3262 (2)/XVII दिनांक 30 नवंबर, 1919	—तदैव—

परन्तु यह अवध की उन संपदाओं पर लागू नहीं होगा जो अवध संपदा अधिनियम, 1869 जिसे अवध संपदा (संशोधन) अधिनियम, 1910 या अवध संपदा अधिनियम, 1917 द्वारा संशोधित किया गया है, के उपबंधों के अधीन हैं।

व्याख्या खण्ड

2—इस अनुच्छेद में, जब तक कि विषय या प्रतिसंहरण खण्ड में कोई प्रतिकूल बात न हो,

(1) "सत्यापित" का प्रयोग, जब किसी गैर-वसीयती लिखत के सन्दर्भ में किया जाता है, तो इसका अर्थ है, ऐसे लिखत पर, निष्पादक की उपस्थिति में, साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करना, जब निष्पादक ने उसी पर हस्ताक्षर किए हों, तथा निष्पादक द्वारा अपने हस्ताक्षर की अभिस्वीकृति से उसी व्यक्तिगत रूप में वापस ले लिया हो।

स्पष्टीकरण I—जब एक से अधिक साक्षियों द्वारा सत्यापन अपेक्षित हो, तो यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे साक्षियों में से एक से अधिक एक ही समय पर उपस्थित हों।

स्पष्टीकरण II—अपेक्षित है। सत्यापन का कोई विशेष रूप नहीं है।

(2) "अनुबंध करने में सक्षम" का अर्थ भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 2 के अर्थ के साथ अनुबंध करने में सक्षम है।

(3) "संपत्ति-धारक" का अर्थ है वह व्यक्ति जिस पर, और "संपत्ति" अचल संपत्ति जिस पर, भाग 1 के प्रावधान लागू होते हैं।

(4) "नाबालिग" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 के प्रावधानों के तहत अपनी वयस्कता प्राप्त नहीं की है।

(5) "असंबद्ध संपत्ति के संदर्भ में प्रयुक्त पृथक अधिकार का अर्थ है, स्वामी द्वारा धारण किया गया अधिकार, जो ऐसी संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी विशिष्ट हिस्से या भाग पर अनन्य रूप से हकदार है।

स्पष्टीकरण—विभाजन सहदायिक संपत्ति में हिंदू संयुक्त परिवार के सदस्य का हित पृथक अधिकार नहीं है।

(6) "स्थायी सम्पदा का अर्थ है, धारा 27 के अधीन की गई घोषणा के आधार पर भाग 2 के उपबंधों के अधीन, उस समय के लिए अचल संपत्ति।

(7) संबंध व्यक्त करने वाले शब्द केवल वैध संबंध को दर्शाते हैं, परन्तु गर्भ में पल रहे बच्चों पर लागू होते हैं, जो जीवित पैदा हुए हैं।

भाग—1

भाग—1 के अधीन
घोषणा के लिये
आवेदन

3—किसी अन्य अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, संविदा करने में सक्षम किसी भी व्यक्ति के लिए, जो—

(क) अचल सम्पत्ति का स्वामी है, जो पारिवारिक रीति से ज्येष्ठाधिकार के नियम के अनुसार एकल उत्तराधिकारी को प्राप्त होती है, या

(ख) किसी अचल सम्पत्ति में पृथक, स्थायी, उत्तराधिकार योग्य और हस्तांतरणीय अधिकार का 1[* * *] और

(i) जो महाराजा बहादुर, महाराजा, राजा बहादुर, राजा, नवल मुमताज—उद—दावा नवाब बहादुर, या नवाब की उपाधि रखता है, यदि 2[केन्द्र सरकार] या 3[राज्य सरकार] द्वारा प्रदान या मान्यता प्राप्त हो, या

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 4, 1924 की धारा 4 द्वारा "आगरा में" शब्द हटाया गया।

2. एल0जी0 के लिये ए0ओ0, 1937 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. शब्द "संयुक्त प्रान्त" के लिये ए0ओ0 1950 जिसे ए.ओ. 1937 द्वारा आबंटित किया गया था, प्रतिस्थापित।

(ii) जो वंशानुगत उपाधि के रूप में रजवार, राव बहादुर, राव, राय, मिरसा बहादुर मीरास, खान बहादुर, राय बहादुर, चौधरी या दीवान की उपाधि धारण करता है, जो 1[केन्द्रीय सरकार] या 2[राज्य सरकार] द्वारा या तो दी गई हो या

(iii) जब ऐसी संपत्ति 1[केन्द्रीय सरकार] या 2[राज्य सरकार] द्वारा ईमानदारी और अच्छी सेवाओं के लिए पुरस्कार के रूप में दी गई हो या जिसने ऐसी संपत्ति उस व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विरासत में प्राप्त की हो, जिसे वह दी गई हो, या

(iv) लेकिन जो भूमि पर ऐसा अधिकार रखता हो, जिस पर प्रति वर्ष 3[सात हजार रुपये] से कम की राशि का भू-राजस्व लगाया जाता हो), 2[राज्य सरकार] से यह घोषणा करने के लिए आवेदन करेगा कि इस भाग के प्रावधान उस पर लागू होंगे।

आवेदक अपने आवेदन के साथ एक अनुसूची संलग्न करेगा, जिसमें उसके स्वामित्व वाली अचल संपत्ति और उस पर लगाए गए भू-राजस्व को दर्शाया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1—जहां ऐसी भूमि या उसका कोई भाग राजस्व के अधीन है, तो उस पर नाममात्र रूप से लगाए गए भू-राजस्व के बराबर मूल्यांकित राशि का मूल्यांकित माना जाएगा, ताकि उसके संबंध में देय दरों का निर्धारण किया जा सके।

स्पष्टीकरण II—जहां ऐसी भूमि या उसका कोई भाग राजस्व-मुक्त है और भूमि राजस्व का नाममात्र मूल्यांकन नहीं किया गया है, वहां ऐसी भूमि या उसके भाग के लिए देय समझा जाने वाला भूमि राजस्व धारा 38 की धारा (2) के उपबंध (ii) के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

आवेदन की
अस्वीकृति

4—2[राज्य सरकार] ऐसे आवेदन को या तो संक्षेप में या ऐसी जांच के पश्चात्, जिसे वह उचित समझे, 4[* * *] अस्वीकार कर सकती है।

नोटिस जारी
करना

5—यदि ऐसा आवेदन धारा 4 के अधीन अस्वीकार नहीं किया जाता है, तो 2[राज्य सरकार] अंग्रेजी में और स्थानीय भाषा में एक 5[आधिकारिक गजट] प्रकाशित करेगी जिसमें यह तथ्य बताया जाएगा कि आवेदन किया गया है और उसका आशय होगा और आवेदन का विरोध करने में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों से अंग्रेजी में गजट के प्रकाशन की तारीख से छह महीने के भीतर लिखित रूप में ऐसा करने का आह्वान किया जाएगा।

आवेदन को
अस्वीकार करने
की अनुमति

6—2[राज्य सरकार] आवेदन पर विचार करने और उसके द्वारा या उसके आदेशों के तहत की गई किसी जांच के परिणाम और उसके द्वारा मांगी गई जानकारी के किसी अन्य विवरण और किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन के खिलाफ बताए गए कारण (यदि कोई हो) पर विचार करने के पश्चात्, आवेदन की अस्वीकृति प्रदान करें। आवेदन, या तो अस्वीकार कर सकता है या आवेदन को स्वीकार कर सकता है।

अधिसूचना और
संपदा धारकों की
सूची

7—यदि आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो 2[राज्य सरकार] 5[आधिकारिक गजट] में अधिसूचना द्वारा घोषित करेगी कि इस भाग के प्रावधान आवेदक को उस अचल संपत्ति के संबंध में लागू कर दिए गए हैं जिसमें उसका अलग, स्थायी, विरासत योग्य

1. एल0जी0 के लिये ए0ओ0, 1937 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. शब्द "संयुक्त प्रान्त" के लिये ए0ओ0 1950 जिसे ए.ओ. 1937 द्वारा आबंटित किया गया था, प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1, 1025 की धारा 2 द्वारा शब्द "दस हजार रुपये एक वर्ष" के लिये प्रतिस्थापित।
4. शब्द "में विवके है" ए0ओ0 1937 द्वारा हटा गया।
5. उपरोक्त द्वारा शब्द "गजट" के लिये प्रतिस्थापित।

हिस्सा है अधिसूचना की तिथि पर उत्तराधिकार और हस्तांतरणीय तथा 1[राज्य सरकार] द्वारा रखी जाने वाली सूची में अपना नाम दर्ज कराएगा। ऐसी सूची को समय-समय पर धारा 38 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

संपत्ति में वृद्धि करने की शक्ति

8—(1) कोई भी संपदा-धारक, अपने द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो या अधिक साक्षीगण द्वारा सत्यापित, पन्द्रह रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प वाले पंजीकृत लिखत द्वारा यह घोषित कर सकता है कि 2[उत्तर प्रदेश] में स्थित कोई भी अचल संपत्ति, जो अवध संपदा अधिनियम, 1869 या अवध बसे हुए संपदा अधिनियम, 1917 के अर्थ में क्रमशः “संपत्ति” या “बसे हुए संपदा” नहीं है, जिसमें उसका पृथक, स्थायी, विरासत में मिलने वाला या हस्तांतरणीय अधिकार है, तथा जो लिखत में निर्दिष्ट है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसकी संपदा का भाग है।

ऐसी घोषणा उसके पंजीकरण की तिथि से प्रभावी होगी।

(2) पंजीकरण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक जिले के कलेक्टर को, जिसमें संपत्ति का कोई भाग स्थित है, घोषणा की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराए तथा प्रति प्राप्त होने पर कलेक्टर निर्दिष्ट अचल संपत्ति से संबंधित अधिकारों के अभिलेख में एक नोट बनवाएगा तथा घोषणा की एक प्रति 3[आधिकारिक गजट] में अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में भी प्रकाशित करवाएगा।

संपत्तियों का हस्तांतरण

9—संपत्ति धारक की संपत्ति या संपत्ति का कोई भाग, जिसके संबंध में वह बिना वसीयत किए मर जाता है, उत्तराधिकार के क्रम के अनुसार और पहली अनुसूची में निर्धारित शर्तों के अधीन एक ही वारिस को मिलेगा:

प्रतिबंध यह है कि जहां कोई महिला केवल अपने जीवनकाल के लिए उत्तराधिकारी बनती है, या जहां दो या दो से अधिक महिलाएं उत्तराधिकार में उत्तराधिकारी बनती हैं, उत्तराधिकार में अगला व्यक्ति अंतिम पुरुष संपत्ति धारक की मृत्यु पर निहित हित लेगा, बशर्ते कि ऐसा हित पूर्वव्यापी रूप से विनिहित हो एवं यदि कोई ऐसी महिला विधवा होने के नाते धारा 12 के प्रावधानों के तहत एक पुत्र को गोद लेती है।

संपत्ति धारक की वसीयत को हस्तांतरित करने की शक्ति

10—(1) अनुबंध करने में सक्षम प्रत्येक संपत्ति धारक अपनी संपत्ति के किसी भाग को, जिस पर भाग II के प्रावधान लागू नहीं हुए हैं, अपने अधिकार या हित को, उस सीमा तक और उसके अनुसार स्थानांतरित करने या वसीयत करने में सक्षम होगा, जो उस पर लागू व्यक्तिगत कानून द्वारा अनुमत है।

(क) कोई अन्य संपत्ति-धारक, या

(ख) वह व्यक्ति जो ऐसी संपत्ति का उत्तराधिकारी होता या

इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, यदि इस प्रकार हस्तांतरित या वसीयत करने वाला व्यक्ति उस समय अपनी संपत्ति के संबंध में बिना वसीयत के मर जाता है, जब हस्तांतरण या वसीयत प्रभावी हुई थी, तो उसमें निहित हित होता, यदि हस्तांतरण या

(ग) वसीयतकर्ता की बेटी, या

1. शब्द “संयुक्त प्रान्त” के लिये ए०ओ० 1950 जिसे ए०ओ. 1937 द्वारा आबंटित किया गया था, प्रतिस्थापित।
2. शब्द “संयुक्त प्रान्त” के लिये ए०ओ० 1950 जिसे ए०ओ. 1937 द्वारा आबंटित किया गया था, प्रतिस्थापित।
3. उपरोक्त द्वारा शब्द “गजट” के लिये प्रतिस्थापित।

(घ) उसकी बेटी का बेटा, पुरुष वंश में एक सीधा पुरुष वंशज है,

तो ऐसे मामले में हस्तांतरिती या लेगेटी उस संपत्ति के संबंध में एक संपदा-धारक होगा, जिसके लिए वह ऐसे हस्तांतरण या वसीयत के तहत या उसके आधार पर हकदार हो सकता है और उसे उन्हीं शर्तों के अधीन रखेगा जैसे कि वह बिना वसीयत के विरासत में मिला हो, बशर्ते कि मामलों (सी), (डी) और (ई) में इस प्रकार हस्तांतरित या वसीयत की गई संपत्ति ऐसे हस्तांतरण या वसीयत के समय 1[सात हजार रुपये प्रति वर्ष] से कम की राशि के लिए भूमि राजस्व में निर्धारित या निर्धारित होने का दावा किया गया हो।

उत्तराधिकार
अधिनियम की
धाराएं संपत्ति के
मालिकों की
वसीयत पर लागू
होना

11—भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1865 की धारा 49, 50, 51, 55, 57, 58, 60 से 77, 82, 83, 85 और 88 से 98, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक संपदा-धारक द्वारा अपनी संपत्ति, या उसके किसी हिस्से, या उसमें किसी हित को वसीयत करने के उद्देश्य से की गई सभी वसीयतों पर लागू होंगी

प्रतिबंध यह है कि विवाह ऐसी किसी वसीयत को रद्द नहीं करेगा:

प्रतिबंध यह भी है कि इसमें निहित कुछ भी इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले की गई वसीयतों को प्रभावित नहीं करेगा।

संपत्ति धारकों को
गोद लेने की
शक्ति।

12—एक संपदा-धारक जिसे उस पर लागू व्यक्तिगत कानून द्वारा एक पुत्र को गोद लेने, या अपनी विधवा को उसके लिए एक पुत्र को गोद लेने का अधिकार देने की अनुमति है, एक पुत्र को गोद लेने या ऐसा अधिकार देने के लिए सक्षम होगा। किन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख के पश्चात् किसी सम्पदा धारक या उसकी विधवा द्वारा किया गया कोई दत्तक ग्रहण और दिया गया कोई प्राधिकार तब तक वैध नहीं माना जाएगा, जब तक कि सम्पदा धारक की वैयक्तिक विधि द्वारा अधिरोपित अपेक्षाओं (यदि कोई हों) के अतिरिक्त ऐसे दत्तक ग्रहण के तथ्य की घोषणा नहीं कर दी गई हो या ऐसा प्राधिकार दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा सत्यापित पंजीकृत लिखत द्वारा नहीं दिया गया हो।

जहां किसी सम्पत्तिधारक पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत कोई विधवा अपने पति से ऐसा दत्तक ग्रहण करने के लिए प्राधिकार प्राप्त किए बिना पुत्र को दत्तक ग्रहण करने के लिए सक्षम है, वहां इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात उसके द्वारा ऐसे दत्तक ग्रहण को अवैध नहीं समझी जाएगी, जबकि ऐसा प्राधिकार उसे नहीं दिया गया है।

व्यक्तिगत कानून
के तहत
भरण-पोषण के
लिए प्रावधान

13—जब सम्पत्तिधारक की मृत्यु हो जाती है और वह ऐसे किसी सम्बन्धी को छोड़ जाता है, जिसका उल्लेख द्वितीय अनुसूची में किया गया है, तो कोई भी व्यक्ति, जो उस समय उसकी सम्पत्ति के कब्जे में है, मृतक की उस सम्पत्ति की सीमा तक, जो उसके कब्जे में आई है, ऐसे प्रत्येक सम्बन्धी को उसके जीवनकाल में या इसके पश्चात् उल्लिखित किसी अन्य अवधि के लिए, दो बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में अनुसूची में उल्लिखित राशि से अनधिक उचित वार्षिकी देने के लिए उत्तरदायी होगा:

प्रतिबंध यह है कि ऐसा सम्बन्धी, घोषित व्यक्ति की मृत्यु की तारीख को उसके साथ रह रहा था, और यह भी कि ऐसा सम्बन्धी भरण-पोषण के किसी अन्य पर्याप्त साधन के बिना है और बना रहेगा।

यदि संपत्ति का कोई भाग मृतक द्वारा हस्तांतरित या वसीयत किया गया हो, तो उस समय उस भाग या उसके किराए या लाभ पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति, उस संपत्ति के जारी रहने के दौरान क्रमशः उक्त वार्षिकी के आनुपातिक भागों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 1, 1928 की धारा 2 के द्वारा शब्द "दस हजार रुपये प्रति वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

संपदा-धारकों के उत्तरजीविता विवरण का रखरखाव

14—इसमें निहित कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति के भरण-पोषण के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी जो द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं है और जो उस व्यक्तिगत कानून के तहत संपत्ति धारक से भरण-पोषण पाने का हकदार होगा जो उस पर लागू होता यदि धारा 7 के तहत कोई अधिसूचना जारी की गई होती।

वार्षिकियों का जारी रहना

15—इसमें निहित प्रावधानों के अधीन भरण-पोषण जारी रहेगा

(क) नाबालिग भतीजे के मामले में तब तक जब तक वह नाबालिग नहीं रह जाता,

(ख) बेटी या विधवा के मामले में तब तक जब तक वह उस पर लागू व्यक्तिगत कानून के अनुसार भरण-पोषण की हकदार नहीं रह जाती

(ग) अन्य सभी मामलों में तब तक जब तक वार्षिकीधारक की मृत्यु नहीं हो जाती

संपत्तिधारकों की बेटियों के विवाह व्यय।

16—संपत्ति पर उस समय काबिज संपत्तिधारक, उस व्यक्ति की अविवाहित बेटी या बेटियों के विवाह के शेष व्ययों का प्रावधान करेगा, जिसके वह उत्तराधिकारी बने हैं, जहां तक संपत्ति की आय अनुमति दे सकती है

संपत्ति का अर्थ

17—धारा 13 के तहत उचित वार्षिकी या धारा 16 के तहत उचित व्यय क्या है, यह निर्धारित करने में, संपत्ति-धारक जिस परिवार से संबंधित है या जो भी मामला हो, उसके उपयोग को ध्यान में रखा जाएगा।

संपत्ति धारकों को संपत्ति से हटाने के लिए आवेदन

18—एक संपत्ति धारक जो अनुबंध करने में सक्षम है, जिसकी संपत्ति पर भाग ८ के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, किसी भी समय ¹[राज्य सरकार] को यह घोषणा करने के लिए आवेदन कर सकता है कि इस भाग के पूर्ववर्ती प्रावधान उस पर लागू नहीं होंगे। ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, ¹[राज्य सरकार] किसी भी कारण से यह घोषणा कर सकती है कि इस भाग के पूर्वगामी प्रावधान किसी संपत्ति-धारक पर लागू नहीं होंगे और ²[आधिकारिक राजपत्र] में अंग्रेजी और हिंदी में इस आशय की अधिसूचना प्रकाशित करेगी।

अंग्रेजी में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस भाग के पूर्वगामी उपबंध संपदा-धारक पर लागू होना बंद हो जाएंगे और उसकी संपदा अब से उस वैयक्तिक कानून के अधीन मानी जाएगी जो उस पर तब लागू होती यदि धारा 7 के अधीन अधिसूचना जारी न की गई होती और उसका नाम उस धारा के अधीन रखी गई सूची से हटा दिया जाएगा।

न्यायिक संज्ञान लिया जाना

19—न्यायालय धारा 7 के अधीन अधिसूचनाओं और साथ ही धारा 18 के अधीन सूची में की गई प्रविष्टियों का न्यायिक संज्ञान लेगा। सूची में किसी प्रविष्टि की प्रति प्रस्तुत करना, जो ³[राज्य सरकार] के सचिवों में से किसी एक के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित हो, उक्त सूची में प्रविष्टि के तथ्य का ठोस सबूत होगा।

1. ए0ओ0 1950 (प्रान्तीय सरकार) के लिये प्रतिस्थापित जो कि पूर्व में ए0ओ0, 1937 द्वारा (एल0जी0) के लिये प्रतिस्थापित किया गया था।
2. उपरोक्त द्वारा शब्द "राजपत्र" के लिये प्रतिस्थापित।
3. ए0ओ0 1950 (प्रान्तीय सरकार) के लिये प्रतिस्थापित जो कि पूर्व में ए0ओ0, 1937 द्वारा (एल0जी0) के लिये प्रतिस्थापित किया गया था।

भाग—II

संपत्ति के
निपटान हेतु
अनुमति के लिये
आवेदन

20—इसके विपरीत किसी अधिनियम के होते हुए भी, किसी सम्पदाधारी के लिए, जो किसी राज्य में स्थायी, उत्तराधिकार योग्य और हस्तांतरणीय अधिकार का हकदार है और उसके कब्जे में है और अनुबंध करने में सक्षम है, यह वैध होगा कि वह राज्य सरकार को यह घोषित करने की अनुमति के लिए लिखित में आवेदन करे कि ऐसी सम्पदा या उसका कोई भाग भविष्य में इस भाग के उपबंधों के अधीन माना जाएगा।

आवेदन की
अस्वीकृति

21—¹[राज्य सरकार] ऐसे आवेदन को या तो संक्षेप में या ऐसी जांच के पश्चात्, ¹[* * *] अस्वीकार कर सकेगी।

नोटिस का जारी
करना

22—यदि ऐसा आवेदन धारा 21 के अधीन अस्वीकार नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में ²[आधिकारिक राजपत्र] में एक सूचना प्रकाशित करेगी, जिसमें यह तथ्य सुनाया जाएगा कि आवेदन किया गया है और उसका तात्पर्य क्या है, और आवेदक या उसकी अचल संपत्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय दावा रखने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध किया जाएगा कि वे अंग्रेजी में सूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने के भीतर उसे लिखित रूप में अधिसूचित करें, और ऐसी अवधि के भीतर लिखित रूप में कारण भी बताएं कि आवेदक द्वारा मांगी गई अनुमति क्यों न दी जाए, और जहां ऐसा तरीका साध्य हो, वहां वह ऐसा करेगी। ऐसे सभी व्यक्तियों को ऐसे नोटिस की एक प्रति प्रदान करें, जिनके बारे में ज्ञात हो, या आवेदन या प्राप्त अन्य सूचना से ऐसा प्रतीत हो कि वे आवेदन का विरोध करने में रुचि रखते हैं।

अनुमति देना या
न देना

23—¹[राज्य सरकार] आवेदन पर तथा उसके द्वारा या उसके आदेशों के तहत की गई किसी जांच के परिणाम, उसके द्वारा मांगे गए किसी अन्य विवरण या सूचना, तथा आवेदन के विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा दर्शाए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, या तो अनुमति दे सकती है या देने से मना कर सकती है, या केवल उस संपत्ति के भाग के संबंध में अनुमति दे सकती है, जिससे आवेदन संबंधित है।

बशर्ते कि जहां आवेदक की अचल संपत्ति का कोई भाग किसी भार या भार के अधीन हो, या किसी विद्यमान ऋण, मांग या दावे के लिए उत्तरदायी हो, वहां राज्य सरकार तब तक ऐसी अनुमति नहीं देगी, जब तक कि आवेदक की अचल संपत्ति पर भार या भार के हकदार व्यक्तियों या उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय दावा करने वाले व्यक्ति की सहमति प्राप्त न हो जाए, या ऐसे व्यक्तियों के भार, भार या दावों का निर्वहन न हो जाए, जो ऐसी अनुमति दिए जाने पर आपत्ति करते हैं, या राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थाओं को संतोषजनक न माना जाए। उनकी रिहाई के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया है, या राज्य सरकार को विश्वास है कि ऐसे व्यक्तियों को ऐसी अनुमति दिए जाने से कोई परेशानी नहीं होगी।

संपदा में जोड़ने
की अनुमति के
लिए आवेदन

24—(1) किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो तत्समय स्थापित सम्पदा का हकदार है और उस पर कब्जा रखता है, तथा संविदा करने में सक्षम है, ³[राज्य सरकार] को स्थापित सम्पदा में कोई अन्य स्थावर सम्पत्ति जोड़ने की अनुमति के लिए आवेदन करना वैध होगा, जिसके लिए वह धारा 20 के अधीन आवेदन कर सकता है।

1. शब्द "जैसा वह उचित समझे" ए0ओ0 1937 द्वारा हटाया गया।

2. उपरोक्त द्वारा शब्द "राजपत्र" के लिये प्रतिस्थापित।

3. ए0ओ0 1950 (प्रान्तीय सरकार) के लिये प्रतिस्थापित जो कि पूर्व में ए0ओ0, 1937 द्वारा (एल0जी0) के लिये प्रतिस्थापित किया गया था।

(2) ऐसे आवेदन की पुनः प्रतिलिपि पर ¹[राज्य सरकार] धारा 21 या धारा 22 और 23 के अनुसार कार्यवाही करेगी

घोषणा को रद्द करने की अनुमति के लिए आवेदन

25—(1) धारा 29 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो तत्समय स्थापित सम्पदा का हकदार है और उस पर कब्जा रखता है, तथा पुरुष होने और संविदा करने में सक्षम होने के कारण, ¹[राज्य सरकार] को किसी ऐसी घोषणा को पूर्णतः या भागतः रद्द करने की अनुमति के लिए आवेदन करना वैध होगा, जिसके बारे में वह सम्पत्ति इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए रद्द की गई है।

(2) राज्य सरकार आवेदन पर विचार करने तथा उसके द्वारा या उसके आदेश के तहत की गई किसी जांच के परिणाम और उसके द्वारा मांगी गई किसी अन्य जानकारी या विवरण पर ¹[* * *] या तो अनुमति दे सकती है या देने से मना कर सकती है, या केवल उस संपत्ति के भाग के संबंध में अनुमति दे सकती है जिससे आवेदन संबंधित है।

प्रपत्र, विषय-वस्तु और प्रकाशन के लिए आवेदन

26—(1) धारा 23, 24 या 25 के तहत दी गई अनुमति लिखित रूप में होगी, ¹[राज्य सरकार] के सचिवों में से किसी एक द्वारा हस्ताक्षरित होगी और उसमें उस अचल संपत्ति का विवरण होगा जिसके संबंध में अनुमति दी गई है ताकि उसकी पहचान की जा सके।

(2) ऐसी प्रत्येक अनुमति आधिकारिक वेबसाइट पर अंग्रेजी और स्थानीय भाषा ²[आधिकारिक राजपत्र] में प्रकाशित की जाएगी और अंग्रेजी में प्रकाशन की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक या आवेदक की मृत्यु तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी।

घोषणा की समाप्ति

27—आवेदक अपने द्वारा हस्ताक्षरित और दो या अधिक साक्षियों द्वारा सत्यापित लिखित दस्तावेज द्वारा, तथा ऐसी अनुमति के अंग्रेजी में प्रकाशन की तारीख से तीन महीने के भीतर पंजीकृत करा सकता है (किन्तु वसीयत द्वारा नहीं), कि जब तक ऐसी अनुमति के संबंध में संपत्ति का कोई भाग धारा 23, 24 या 25 के अधीन प्रदान किया गया है, वह भविष्य में इस भाग के उपबंधों के अधीन या उनसे मुक्त माना जाएगा, जैसा भी मामला हो। ऐसी घोषणा उसके पंजीकरण की तारीख से प्रभावी होगी।

प्रक्रिया

28—धारा 27 के अधीन पंजीकरण के लिए प्रस्तुत प्रत्येक घोषणा के साथ धारा 26 में उल्लिखित लिखित अनुमति संलग्न होगी, तथा पंजीकरण अधिकारी घोषणा को पंजीकृत करने से पूर्व स्वयं को संतुष्ट करेगा कि पंजीकरण के लिए प्रस्तुत घोषणा में निर्दिष्ट संपत्ति उस धारा के अधीन प्रदान की गई अनुमति में सम्मिलित है, तथा ऐसी अनुमति अभी भी प्रवृत्त है।

कुछ घोषणाओं को अपरिवर्तनीय बनाने की शक्ति

29—कोई व्यक्ति जो यह घोषणा करता है कि कोई संपत्ति इस भाग के उपबंधों के अधीन धारित की जाएगी, ऐसी घोषणा के द्वारा या लिखित रूप में किसी पश्चातवर्ती लिखत द्वारा, जैसा कि पूर्वोक्त रूप में हस्ताक्षरित और प्रमाणित हो, और पंजीकृत कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति का कोई भी हित-उत्तराधिकारी, जो उस संपत्ति पर कब्जा रखता हो और सक्षम संविदाकर्ता हो, किसी भी लिखत द्वारा, जैसा कि पूर्वोक्त रूप में हस्ताक्षरित और प्रमाणित हो, और पंजीकृत कर सकता है कि ऐसी कोई भी घोषणा, स्थापित संपत्ति के संपूर्ण या किसी निर्दिष्ट भाग के संबंध में अपरिवर्तनीय होगी।

1. शब्द 'विचार करने के पश्चात' ए0ओ0 1937 द्वारा हटाया गया।

2. उपरोक्त द्वारा शब्द "राजपत्र" के लिये प्रतिस्थापित।

पंजीकरण
अधिकारियों और
कलेक्टर के
कर्तव्य

30—धारा 28 के अधीन किसी घोषणा या धारा 29 में वर्णित किसी पश्चातवर्ती लिखत के पंजीकरण पर पंजीकरण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक जिले के 1[उप-आयुक्त कलेक्टर] को, जिसमें संपत्ति का कोई भाग स्थित है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराए।

(2) ऐसी प्रतिलिपि प्राप्त होने पर उप-आयुक्त कलेक्टर ऐसे अभिलेख या रजिस्टर में नोट बनवाएगा जैसा 2[राज्य सरकार] निर्देश देगी, तथा घोषणा की एक प्रतिलिपि अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में 3[आधिकारिक राजपत्र] में प्रकाशित करवाएगा।

उत्तराधिकारियों
के निर्णय के लिए
स्थापित संपत्ति से
संबंधित लेन-देन
निषिद्ध है

31—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, 2[राज्य सरकार] के लिए यह वैध होगा कि वह किसी भी कारण से, जिसे वह पर्याप्त समझे, संपदा-धारक के आवेदन पर, 3[आधिकारिक राजपत्र] में अधिसूचना द्वारा यह घोषित करे कि स्थापित संपदा या उसका कोई भाग, जिसका वह हकदार है और जिस पर उसका कब्जा है, इस भाग के उपबंधों के अधीन होगा। ऐसी घोषणा अंग्रेजी में उसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

किसी सार्वजनिक
उद्देश्य के लिए
स्थापित संपदा
का हस्तांतरण

32—इस अनुच्छेद द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, स्थापित संपदा के हकदार किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपदा या उसके किसी भाग या उसमें किसी हित को उसके जीवनकाल से अधिक या अधिक समय के लिए हस्तांतरित करने या बेचने का अधिकार नहीं होगा, न ही कोई न्यायालय किसी डिक्री के निष्पादन में ऐसी संपदा या उसके किसी भाग या उसमें किसी हित को उसके जीवनकाल से अधिक या अधिक समय के लिए बेचने का कारण बनेगा, न ही स्थापित संपदा या उसकी कोई कला या उसका लाभ किसी न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति में उसके जीवनकाल से अधिक या अधिक समय के लिए धारित माना जाएगा या धारित किया गया होगा।

सार्वजनिक संपत्ति
के लिये स्थायी
संपत्ति का
हस्तांतरण

33—(1) कोई व्यक्ति जो किसी स्थापित सम्पत्ति का हकदार है और उस पर कब्जा रखता है, 2[राज्य सरकार] की पूर्व अनुमति से उसे या उसके किसी भाग को या उसमें किसी हित को या तो 4[सरकार] को या किसी स्थानीय प्राधिकारी, कर या व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है और ऐसी स्थिति में धारा 32 के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(2) मंजूरी केवल उपधारा (1) के अधीन दी जाएगी, जहां हस्तान्तरणकर्ता 2[राज्य सरकार] के अधीन धर्मार्थ या धार्मिक प्रकृति के किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए या जनता में या जनता के किसी वर्ग के लिए लाभकारी किसी उद्देश्य के लिए हो और ऐसी कोई मंजूरी 5[राज्य सरकार] हस्तांतरण की प्रकृति की सीमा या उस दस्तावेज की शर्तों (यदि कोई हो) के संबंध में, जिसके द्वारा हस्तांतरण किया जाना है, या किसी अन्य मामले के संबंध में ऐसी शर्तें लागू कर सकती हैं, जिन्हें राज्य सरकार समीचीन समझे।

(3) 1[राज्य सरकार] ऐसी मंजूरी देते समय यह भी निर्देश दे सकती है कि हस्तांतरण के लिए विचार की गई पूरी राशि या उसका कोई भाग अन्य अचल संपत्ति की खरीद में उपयोग किया जाएगा और इस प्रकार खरीदी गई संपत्ति बंदोबस्त संपत्ति का हिस्सा बनेगी।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 4, 1924 की धारा 5 द्वारा जोड़ा गया।

2. ए०ओ० 1950 (प्रान्तीय सरकार) के लिये प्रतिस्थापित जो कि पूर्व में ए०ओ०, 1937 द्वारा (एल०जी०) के लिये प्रतिस्थापित किया गया था।

3. उपरोक्त द्वारा शब्द “राजपत्र” के लिये प्रतिस्थापित।

4. ए०ओ० 1950 द्वारा (काउन) के लिये प्रतिस्थापित, जिसे 1937 के ए०ओ० द्वारा (भारत के लिये परिषद सचिव) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।

5. ए०ओ० 1950 (प्रान्तीय सरकार) के लिये प्रतिस्थापित जो कि पूर्व में ए०ओ०, 1937 द्वारा (एल०जी०) के लिये प्रतिस्थापित किया गया था।

स्पष्टीकरण— इस धारा में “कंपनी” का अर्थ भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 3 के खंड 1 में परिभाषित कंपनी है।

**बंदोबस्त
के पट्टे** **संपत्ति**

34—(1) वह व्यक्ति जो उस समय बंदोबस्त संपत्ति का हकदार है और उस पर कब्जा रखता है, उसे या उसके किसी भाग को—

(क) वर्ष दर वर्ष, सात वर्ष से कम अवधि के लिए, मंजूरी के बिना और

(ख) सात वर्ष से अधिक अवधि के लिए, कलेक्टर ¹[या उपायुक्त] की पूर्व मंजूरी से पट्टे पर दे सकता है।

परन्तु यह कलेक्टर ²[या उपायुक्त] के लिए वैध नहीं होगा कि वह निम्नलिखित को मंजूरी दे—

(i) चौदह वर्ष से अधिक अवधि के लिए कृषि प्रयोजन के लिए पट्टा, या

(ii) किसी अन्य प्रयोजन के लिए पट्टा, जब तक कि ऐसा पट्टा धारा 38 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों द्वारा अनुज्ञात न हो और उनके अनुसार न हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर या ³[या उपायुक्त] का यह विनिश्चय कि कोई पट्टा कृषि प्रयोजन के लिए है या नहीं, अंतिम और निर्णायक होगा।

(3) कृषि प्रयोजन के लिए किसी पट्टे पर कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा, लेकिन प्रतिवर्ष देय सर्वोत्तम किराया सुरक्षित रखा जाएगा जो उचित रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

(4) कृषि प्रयोजन के लिए पट्टे के अलावा किसी भी ऋण पर प्रीमियम या जुर्माना, परिस्थितियों के अलावा, और धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (बी) के तहत इस संबंध में बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन नहीं लिया जाएगा।

(5) किराए की किसी भी किस्त का भुगतान उसके बाद के किसी भी व्यक्ति के लिए प्रतिकूल नहीं होगा, जिसे भुगतान किया जाता है।

(6) इस धारा के तहत दिया गया पट्टा ²[आगरा टेनेंसी एक्ट, 1901] या ³[अवध किराया अधिनियम, 1886] के तहत किसी भी प्रावधान के अधीन होगा, जैसा कि बाद के अधिनियमों द्वारा संशोधित किया गया है, जो उन पर लागू होते हैं, जहां तक कि उक्त प्रावधान इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

**स्थापित संपत्ति
का हस्तांतरण
और वसीयत**

35—(1) किसी अनुबंध या निपटान के विपरीत प्रावधानों के बावजूद, प्रत्येक व्यक्ति जो वर्तमान में स्थापित संपत्ति का हकदार, वह पुरुष है, या एक महिला है जो उस पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत वंश का एक नया स्टॉक बनाती है यदि वह बिना वसीयत के संपत्ति का उत्तराधिकारी बनती है, जब तक कि ऐसा व्यक्ति विधवा या मां के रूप में उत्तराधिकारी नहीं बनता है, धारा 9 के प्रयोजनों के लिए वंश का एक नया स्टॉक बनता है

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 4, 1924 की धारा 5 द्वारा जोड़ा गया।

2. अब संयुक्त प्रान्त किराया अधिनियम, 1939 (उ०प्र० अधिनियम 17, 1939) खण्ड—4 देखें।

और ऐसे व्यक्ति की बिना वसीयत के मृत्यु होने पर स्थापित संपत्ति उस धारा के प्रावधानों के अनुसार चली जाएगी।

(2) किसी अनुबंध या निपटान के विपरीत प्रावधानों के बावजूद, प्रत्येक व्यक्ति जो वर्तमान में स्थापित संपत्ति का हकदार, जो उप-धारा (1) के अनुसार वंश का एक नया स्टॉक बनाता है, उसे पहली अनुसूची में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति को वसीयत करने के लिए सक्षम होगा, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति उसे एक अविभाज्य संपत्ति के रूप में वसीयत करने के लिए सक्षम नहीं होगा, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन और उसके अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा धारण की जाती है, या उसके लाभों को, कोई भी मांग, प्रभार या भार वहन करने वाला जो भी हो, अधीन करती है।

यह भी प्रावधान है कि यदि संपत्ति किसी महिला को वसीयत की जाती है, जो धारा 9 के प्रावधानों के तहत उत्तराधिकार प्राप्त करने पर केवल जीवन संपत्ति लेगी, तो वसीयत केवल उस पर जीवन संपत्ति के लिए लागू होगी।

भाग—III

न्यायालय के कुछ अधिकार क्षेत्र

36—(1) कोई भी न्यायालय धारा 7 या धारा 1 के अंतर्गत की गई किसी घोषणा की वैधता या औचित्य पर प्रश्न नहीं उठाएगा, सिवाय इस आधार पर कि आवेदक उस तिथि को, जिस पर उसने अपना आवेदन किया था, संविदा करने के लिए सक्षम नहीं था

(2) कोई भी न्यायालय धारा 27 या धारा 29 के अंतर्गत की गई किसी घोषणा की वैधता या औचित्य पर प्रश्न नहीं उठाएगा, जैसा भी मामला हो

(क) सिवाय इस हद तक कि घोषणा 1[राज्य सरकार] द्वारा दी गई लिखित अनुमति में शामिल संपत्ति को प्रभावित करने का अभिप्राय रखती है), या

(ख) (जहां धारा 23 या धारा 24 के अंतर्गत अनुमति दी गई है) सिवाय इस हद तक कि जिस व्यक्ति द्वारा घोषणा की गई है, वह उसमें शामिल अचल संपत्ति में स्थायी, विरासत में मिलने वाले और हस्तांतरणीय अधिकार का हकदार नहीं पाया गया है या ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम नहीं था, या

(ग) जहां धारा 25 के तहत अनुमति दी गई है, जब तक कि ऐसा व्यक्ति उस धारा के तहत आवेदन की तारीख पर स्थापित संपत्ति का हकदार और उस पर कब्जा करने वाला न पाया जाए, या जिस घोषणा को रद्द करने की मांग की गई है वह अपरिवर्तनीय थी,

(3) उप-धारा (1) और (2) में प्रदान की गई बातों को छोड़कर कोई भी न्यायालय निम्नलिखित मामलों में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा

(क) जैसे कि धारा 3, 15, 20, या 25 के तहत किसी आवेदन की वैधता, औचित्य या नियमितता या उस पर आयोजित कोई कार्यवाही या पारित आदेश:

1. ए0ओ0 1950 (प्रान्तीय सरकार) के लिये प्रतिस्थापित जो कि पूर्व में ए0ओ0, 1937 द्वारा (एल0जी0) के लिये प्रतिस्थापित किया गया था।

(ख) धारा 5 या धारा 22 के तहत जारी किसी भी नोटिस की वैधता, औचित्य, नियमितता या पर्याप्तता:

(ग) धारा 4 या धारा 21 के तहत किसी आवेदन की अस्वीकृति, या धारा 6, 18, 23, 24 और 25 के तहत अनुमति देने या इनकार करने

बचत खंड

(घ) धारा 26 के तहत दी गई किसी भी अनुमति की वैधता, औचित्य या नियमितता या धारा 30, उपधारा (2) के तहत आयोजित कोई कार्यवाही।

(ङ) धारा 18 या धारा 31 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए राजमिस्त्री की पर्याप्तता या अन्यथाकारण।

(च) यदि धारा 33 या धारा 34 के तहत मंजूरी देने या इनकार करने पर:

(छ) धारा 33 या धारा 34 के तहत किसी भी निर्णय की औचित्य या वैधता कि कोई भी हस्तांतरण धर्मार्थ या धार्मिक प्रकृति के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है या नहीं है या जनता के लिए या जनता के किसी वर्ग के लिए लाभकारी उद्देश्य के लिए है या नहीं है या कोई पट्टा कृषि उद्देश्य के लिए है या नहीं है

बचत खंड

37—(क) इस अधिनियम में निहित कुछ भी इस अधिनियम के प्रवर्तन समय पर लंबित मुकदमों को प्रभावित नहीं करेगा, या किसी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति, या उसके किसी हिस्से, या उसमें किसी भी हित के लिए कोई अधिकार या शीर्षक प्रदान करने के लिए नहीं समझा जाएगा, जो इस अधिनियम के प्रारंभ में किसी अन्य व्यक्ति में निहित है जो उसी को वापस लेने का हकदार होता, यदि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ होता और ऐसे अन्य व्यक्तियों के अधिकार या शीर्षक पर इस अधिनियम में निहित किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) भाग II की कोई बात किसी स्थापित संपत्ति के धारक को उसके पुत्र को गोद लेने के अधिकार से वंचित करने या अपनी विधवा को पुत्र को गोद लेने के लिए सशक्त करने या भाग I के तहत भरण-पोषण के किसी व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित करने या आगरा काश्तकारी अधिनियम, 1901, ¹[अवध किराया अधिनियम, 1886] के प्रावधानों को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी, जैसा कि ²[राज्य सरकार] या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधिकार के लिए बाद के अधिनियमों द्वारा संशोधित किया गया था, जो भूमि राजस्व के कारण बकाया किसी भी राशि को कानूनी प्रक्रिया द्वारा वसूल करने या राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के तहत वसूल करने योग्य है।

नियम बनाने की शक्ति

38—(1) ³[राज्य सरकार] पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से तथा इस प्रावधान की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ¹[राज्य सरकार] निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के लिए ⁴[नियम] बना सकती है

1. अब संयुक्त प्रान्त किराया अधिनियम, 1939 (उ०प्र० अधिनियम 17, 1939) खण्ड—4 देखें।
2. ए०ओ० 1950 (प्रान्तीय सरकार) के लिये प्रतिस्थापित जो कि पूर्व में ए०ओ०, 1937 द्वारा (एल०जी०) के लिये प्रतिस्थापित किया गया था।
3. ए०ओ० 1950 (प्रान्तीय सरकार) के लिये प्रतिस्थापित जो कि पूर्व में ए०ओ०, 1937 द्वारा (एल०जी०) के लिये प्रतिस्थापित किया गया था।
4. नियमों के लिए नोट देखें। संख्या 1058/I—202, दिनांक 3 जून, 1921, संख्या 6853/I—A, दिनांक 17 सितम्बर, 1923, और संख्या 1806/IA—443, दिनांक 7 अप्रैल, 1925, xt. 1921, भाग I, पृष्ठ 725, उपरोक्त 1929, भाग I, पृष्ठ 1354 और पड़पक, 1925, भाग I, 442, U- O- 354—R/I—239—45 दिनांक 31 दिसम्बर 1345 उपरोक्त . 1946, भाग I, पृष्ठ 2, नोट संख्या 508/I-

(क) इस अधिनियम के अधीन 1[राज्य सरकार] को आवेदन प्रस्तुत करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

(ख) ऐसे आवेदन का प्रारूप और विषय-वस्तु तथा वे दस्तावेज, यदि कोई हों, जिनके साथ ऐसे आवेदन को संलग्न किया जाएगा

(ग) नोटिस जारी करना और उसकी तामील

(घ) इस अनुच्छेद के अधीन की जाने वाली किसी घोषणा का प्रारूप

(ङ) धारा 7 में उल्लिखित सूची का रखरखाव और सुधार

(च) धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन लिए कलेक्टर 1[या उपायुक्त] द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

(छ) इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही में या उसके संबंध में किए गए किसी व्यय की वसूली पर भुगतान,

(ज) वह अवधि या अवधियां जिसके लिए तथा वे प्रतिबंध और शर्तें जिनके अधीन, धारा 34 की उपधारा (1) के परंतुक में उल्लिखित प्रकृति के कलेक्टर 3[या उपायुक्त] द्वारा मंजूर किए जा सकेंगे

(झ) वे परिस्थितियां जिनमें और वे शर्तें जिनके अधीन, कृषि प्रयोजन के लिए पट्टे के अलावा, धारा 34 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रीमियम या जुर्माना लिया जा सकता है:

(ञ) वह विधि जिससे राजस्व-मुक्त भूमि पर देय समझे जाने वाले भू-राजस्व का निर्धारण किया जाएगा, जिस पर भू-राजस्व का सामान्य रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है

(3) उपधारा (2) के खंड जेजे के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, संपत्ति धारक बनने या न रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसा कि उसमें निर्धारित किया जा सकता है, और ऐसी रिपोर्ट न करने पर जुर्माना निर्धारित किया जा सकता है और वह जुर्माना जो वसूल किया जा सकता है।

168-44, दिनांक 12 जुलाई, 1945 और नोट संख्या 508/I-160-44,44, दिनांक 1 सितम्बर, 1945, उपरोक्त. 1945, भाग- I, पृष्ठ 33 I, और 42 I.

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 4, 1924 की धारा 5 द्वारा जोड़ा गया।

अनुसूची-1

विरासत-धारकों की संपदा के उत्तराधिकार का क्रम इस प्रकार होगा

(1) सबसे पहले ऐसे संपदा-धारक के सबसे बड़े पुत्र को

(2) या यदि ऐसे सबसे बड़े पुत्र की मृत्यु उसके जीवनकाल में ही हो गई हो, और वह कोई पुरुष वंशज छोड़ गया हो, तो ऐसे दूसरे पुत्र के सबसे बड़े और प्रत्येक अन्य पुत्र को क्रमशः उनकी वरिष्ठता और उनके प्रभावी पुरुष वंशजों के अनुसार:

(3) या, यदि ऐसे संपदा-धारक का सबसे बड़ा पुत्र संपदा-धारक के जीवनकाल में ही बिना कोई पुरुष वंशज छोड़े मर गया हो, तो ऐसे संपदा-धारक के दूसरे और प्रत्येक अन्य पुत्र को और उनके संबंधित पुरुष वंशजों को:

(4) या, ऐसे पुत्र या उसके पुरुष वंशजों के न होने पर, यदि संपदा-धारक का वैयक्तिक कानून उसे पुत्र को गोद लेने की अनुमति देता है, तो ऐसे व्यक्ति को जिसे संपदा-धारक विधिवत् गोद लेगा और उसके पुरुष वंशजों को

(5) या, ऐसे किसी विधिवत् दत्तक पुत्र या उसके पुरुष वंशजों के न होने पर, फिर मृतक संपदा-धारक की विधवा को उसके जीवन-पर्यन्त या यदि एक से अधिक विधवाएं हों, तो ऐसे संपदा-धारक से प्रथम बार विवाहित विधवा को केवल उसके जीवन-पर्यन्त,

(6) और ऐसी विधवा की मृत्यु पर, जहां संपदा-धारक को लागू वैयक्तिक विधि उसके लिए पुत्र को गोद लेने की अनुमति देती है, ऐसे पुत्र को, जिसे विधवा ने सम्यक रूप से गोद लिया हो और उसके पुरुष वंशजों को:

(7) या, ऐसी प्रथम विवाहित विधवा के न होने पर और उसके द्वारा सम्यक रूप से गोद लिए गए पुत्र और उसके साथी के वास्तविक वंशजों के न होने पर, तब ऐसे संपदा-धारक की दूसरी विधवा को, यदि कोई हो, विवाह के क्रम में, आगे उसके जीवन के लिए, और ऐसी दूसरी विधवा की मृत्यु पर उसके और उसके पुरुष वंशजों द्वारा विधिवत् गोद लिए गए पुत्र को, फिर दूसरी जीवित विधवा को उनके संबंधित विवाहों के क्रम में उनके संबंधित जीवन के लिए और उनकी संबंधित मृत्यु पर, उनके द्वारा विधिवत् गोद लिए गए बिना विधवाओं को:

(8) या, किसी ऐसे विधिवत् दत्तक पुत्र या किसी ऐसे पुरुष वंशज के अभाव में, तो मृतक संपदा-धारक की मां को उसके जीवन भर के लिए।

स्पष्टीकरण—इस खंड में “मां” शब्द में सौतेली मां शामिल नहीं है, और उस मामले में जहां मृतक एक विधिवत् दत्तक पुत्र था, इसका मतलब है पिता की पत्नी या विधवा, जो गोद लेने में शामिल हुई या उसने गोद लिया, या, यदि गोद लेने का काम अकेले पिता द्वारा किया गया था, और मृतक की मृत्यु के समय एक से अधिक विधवाएं हैं, तो इसका मतलब है वह जो पहले विवाहित थी, और उसकी मृत्यु पर, दूसरी जीवित विधवाएं अपने संबंधित विवाहों के क्रम में उसी के अनुसार विवाहित थीं।

(9) या, माता की मृत्यु पर या उसके बाद, मृतक को तथा ऐसे संपदा-धारक के प्रत्येक अन्य भाई को, तथा उनके संबंधित पुरुष वंशजों को, क्रमशः, पूर्ण रक्त के भाइयों तथा उनके वंशजों को, अर्ध रक्त के भाइयों तथा उनके वंशजों की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाएगी;

(10) या, ऐसे भाई या दो पुरुष वंशजों की अनुपस्थिति में, फिर निकटतम पुरुष वंशज को, जो वंशानुक्रम के नियम के अनुसार है

(11) या, निश्चित रूप से या किसी ऐसे वंशज को, फिर ऐसे व्यक्ति को जो व्यक्तिगत कानून के तहत संपत्ति में जाने का हकदार होता, जो ऐसे संपत्ति धारक पर लागू होता, यदि धारा 7 के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई होती:

प्रतिबंध यह है कि, जब एक से अधिक व्यक्ति हों, तो संपत्ति निम्नलिखित नियमों के अनुसार एक ही व्यक्ति को मिलेगी, अर्थात्:

(i) जहां ऐसे व्यक्तियों में से कुछ रक्त संबंध से जुड़े हैं और कुछ विवाह से, रक्त संबंध विवाह संबंधों को बाहर रखेंगे

(ii) जहां ऐसे व्यक्तियों में से कुछ पूरे रक्त से संबंधित हैं, और कुछ आधे रक्त से संबंधित हैं, पूरे रक्त से संबंधित लोगों में आधे रक्त से संबंधित लोगों को बाहर रखा जाएगा

(iii) जहां नियमों के प्रावधानों के अधीन और ऐसे व्यक्तियों में से कुछ केवल पुरुषों के माध्यम से और कुछ महिलाओं के माध्यम से संबंधित हैं, केवल पुरुष के माध्यम से संबंधित व्यक्ति अन्य को छोड़ देंगे तथा अन्य में से उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके संबंध में मृतक से आगे की ओर पुरुषों के माध्यम से कदम बढ़ते हैं,

(iv) जहां ऐसे व्यक्तियों में से कुछ मृतक से निकट और कुछ अधिक निकट संबंध में हैं, लेकिन दोनों ही तीन पूर्ववर्ती नियमों के तहत समान रूप से योग्य हैं, निकटतम डिग्री वाले व्यक्ति अधिक निकट वाले व्यक्ति से प्रतिस्थापित होंगे

(v) जहां ऐसे व्यक्ति मृतक से समान डिग्री के संबंध में हैं, और चार पूर्ववर्ती नियमों के तहत समान रूप से योग्य हैं, सम्पत्ति वरिष्ठ पंक्ति में सबसे बड़े पुरुष को दिया जाएगा; लेकिन यदि उस पंक्ति में कोई वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है, तो अगली सातवीं पंक्ति में सबसे बड़े पुरुष को, जिसमें कोई पुरुष उत्तराधिकारी है, और यदि किसी पंक्ति में कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस सातवीं पंक्ति में सबसे बड़ी महिला को, जिसमें कोई महिला उत्तराधिकारी है,

अनुसूची-2

भरण-पोषण के लिए हकदार व्यक्ति

1—मृतक के दादा—दादी, माता—पिता और वरिष्ठ विधवा के मामले में, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि निम्नानुसार होगी:

(क) जहां सरकार को देय वार्षिक राजस्व तीन लाख या उससे अधिक है, वहां 6,000 रुपये

(ख) जहां सरकार को देय वार्षिक राजस्व दो लाख या उससे अधिक है, लेकिन तीन लाख से कम है, वहां 4,000 रुपये,

(ग) जहां ऐसा राजस्व एक लाख या उससे अधिक है, लेकिन दो लाख से कम है, धारा 10. 2,000:

(घ) जहां राजस्व 50,000 रुपये या उससे अधिक है, किन्तु एक लाख से कम है, 1,200 रुपये:

(ङ) जहां राजस्व 25,000 रुपये से अधिक है, किन्तु 50,000 रुपये से कम है, 600 रुपये;

(च) जहां ऐसा राजस्व 25,000 रुपये से कम है, 360 रुपये।

(छ) जहां ऐसा राजस्व 10,000 रुपये से कम है, 240 रुपये।

जहां ऐसी संपदा या उसका कोई भाग राजस्व—रहित है, वहां उसके संबंध में देय दरों का निर्धारण करने के लिए उस पर नाममात्र रूप से निर्धारित भूमि राजस्व, इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, ऐसी संपदा या उसके ऐसे भाग के लिए देय राजस्व माना जाएगा। जहां ऐसी संपदा या उसका कोई भाग राजस्व मुक्त हो, तथा भूमि राजस्व का नाममात्र निर्धारण न किया गया हो, वहां उसके ऐसे भाग के लिए देय भूमि राजस्व धारा 18 की मूल धारा (2) के खंड (1) के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

II—मृतक की कनिष्ठ विधवाओं, पुत्रियों तथा पुत्रियों के मामले में प्रत्येक व्यक्ति के लिए वार्षिकी की अधिकतम राशि अनुच्छेद 1 द्वारा निर्धारित अधिकतम राशि की आधी होगी।

III—मृतक के पिताविहीन नाबालिग भतीजे के मामले में प्रत्येक व्यक्ति के लिए वार्षिकी की सामान्य राशि अनुच्छेद 1 द्वारा निर्धारित अधिकतम राशि की एक—तिहाई होगी।

IV—मृतक की अविवाहित पुत्रियों तथा उसके पुत्रों तथा भाइयों की विधवाओं के मामले में प्रत्येक व्यक्ति के लिए वार्षिकी की अधिकतम राशि अनुच्छेद 1 द्वारा निर्धारित अधिकतम राशि की एक—चौथाई होगी।

नोट :- हिन्दी अनुवादित प्रति।